

जिला कोड RJ- 20/

0035205



प्ररूप सं. 5

FORM NO. 5

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

Directorate of Economics & Statistics

जन्म प्रमाण - पत्र

## BIRTH CERTIFICATE

( जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और

राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8/13 के अधीन जारी किया गया )

( Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000 )

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न लिखित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/स्थानीय निकाय )

तहसील / खण्ड

सुमेरपुर

जिला

पाली

राज्य / संघ राज्य

राजस्थान

का रजिस्टर है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area / local body).....of tahsil / block ..... of District.....of state / Union territory .....

नाम/Name:

दिव्यजय सिंह भारी

लिंग/ Sex

पुरुष

जन्म तिथि/Date of Birth

1-1-2013

जन्म स्थान /Place of Birth

भगवान महावीर

माता का नाम/Name of Mother

हनुमन्त देवी

अस्पताल सुमेरपुर

पिता का नाम / Name of Father

पूजा कवर

दिव्यजय सिंह भारी

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता

Address of parents at the time of birth of the child:

माता-पिता का स्थायी पता

Permanent address of parents:

भगवान महावीर अस्पताल  
सुमेरपुर  
(पाली)

दिव्यजय  
(पाली)

रजिस्ट्रीकरण सं./Registration No.: 876

रजिस्ट्रीकरण की तारीख/ Date of Registration

10-1-2013

टिप्पणी/Remarks(if any):

जारी करने की तारीख / Date of issue:

27-1-2013

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर/ Signature of the issuing authority

जारी करने वाले प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority

मुहर/Seal

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार  
ग्राम पंचायत, सुमेरपुर रोड

नोट - बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता एवं 'माता-पिता का स्थायी पता' के कॉलमों से संबंधित सूचनाएं 01.01.2007 से पूर्व लागू नहीं थी।  
Note: Informations in respect of the columns "Present address of Parents at the time of birth of the child" and "Permanent address of parents" were not applicable before 01-01-2007